


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>29.05.2024</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकारगण उपस्थित। वि. सं. 1 के कायम मुकाम की कार्यवाही शेष है। अधिवक्ता निगराकारगण मृतक वि. सं. 1 के कायम मुकाम हेतु आज भी अवसर चाहते हैं चूंकि वि. सं. 1 की मृत्यु की सूचना उसके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 19.03.2021 को प्रस्तुत करने पर उसी दिवस अधिवक्ता निगराकारगण को सूचित कर वि. सं. 1 के कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। अधिवक्ता निगराकारगण को मृतक वि. सं.1 के कायम मुकाम हेतु पर्याप्त अवसर दिए गए तथा पेशी दिनांक 15.02.2024 को न्यायहित में अन्तिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं करने पर पत्रावली खारिज कर दी जावेगी उसके पश्चात् भी अधिवक्ता निगराकारगण द्वारा कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गई है तथा और अवसर चाहा जा रहा है। चूंकि कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु 90 दिवस की अवधि निर्धारित है फिर भी अधिवक्ता निगराकारगण द्वारा लगभग 03 वर्ष 02 माह की अवधि व्यतीत होने के बाद भी कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की है। अतः अब प्रकरण अंबेटमेंट में खारिज किया जाता है।</p> <div data-bbox="367 1388 502 1556" style="text-align: center;">  </div>	